"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 28] नवा रायपुर, गुरुवार, दिनांक 15 जनवरी 2026 — पौष 25, शक 1947

कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, छत्तीसगढ़
शास्त्री चौक, पुराना मंत्रालय परिसर, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2026

आदेश

फा क्र.–21/चार/वि.स.चु./निरर्हित/2026/471. — भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के आदेश पत्र संख्या. 76/छत्तीसगढ़–वि.स./दुर्ग/2023/सी.ई.एम.एस–III, दिनांक 05 जनवरी, 2026 के द्वारा विधानसभा निर्वाचन–2023, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक–65–भिलाई नगर, से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री धर्मेन्द्र, जिला–दुर्ग जिनके द्वारा निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल न करने अथवा सही रीति के अनुसार लेखा दाखिल करने में असफल रहे अभ्यर्थी को आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिये निरर्हित घोषित किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग का आदेश सर्व साधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित की जाती है।

हस्ता./–

(यशवंत कुमार)
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

भारत निर्वाचन आयोग
निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

नई दिल्ली, दिनांक 5 जनवरी, 2026 – 15 पौष, 1947 (शक)

आदेश

सं. 76/छत्तीसगढ़–वि.स./दुर्ग/2023/सी.ई.एम.एस.–III .– यतः, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दिनांक 21.10.2023 की अधिसूचना नं. 08/चार/विसनि/2023 के अनुसरण में छत्तीसगढ़ के साधारण निर्वाचन 2023 आयोजित किया गया था; और

यतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 78 के अनुसार, किसी निर्वाचन मे, निर्वाचन लड़ रहा प्रत्येक अभ्यर्थी, निर्वाचित अभ्यर्थी के निर्वाचन की तारीख से 30 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल करेगा जो उक्त अधिनियम की धारा 77 के अंतर्गत उसके द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता (एजेंट) द्वारा रखे गए लेखे की एक सत्य प्रति होगी; और

यतः छत्तीसगढ़ राज्य के 65- भिलाई नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के साधारण निर्वाचन के परिणाम, रिटर्निंग अधिकारी द्वारा दिनांक 03.12.2023 को घोषित किया गया था और इस प्रकार निर्वाचन व्यय का लेखे दाखिल करने की अन्तिम तारीख 02.01.2024 थी; और

यतः, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (1) अंतर्गत, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी, छत्तीसगढ़ से दिनांक 30.01.2024 के पत्र सं0 क-21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2023-24/66 को प्राप्त हुई थी, के अनुसार श्री धर्मेन्द्र जो छत्तीसगढ़ राज्य के 65- भिलाई नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र, 2023 से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी है, विधि द्वारा यथापेक्षित रीति से अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में विफल रहे है; और,

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 के नियम 89 के उप नियम (5) के अंतर्गत श्री धर्मेन्द्र को अपने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नहीं करने के लिए को कारण बताओ नोटिस सं. 76/छत्तीसगढ़-वि.स./65/2024/सी.ई.एम.एस.-III, दिनांक 26.07.2024 जारी किया गया था; और

यतः, उपयुक्त कारण बताओ नोटिस के जरिए और निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 89 के उप-नियम (6) के अनुसार श्री धर्मेन्द्र को निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न किए जाने संबंधी कारणों को स्पष्ट करते हुए, आयोग को अपना अभ्यावेदन लिखित रूप में प्रस्तुत करने और नोटिस के प्राप्त होने की तारीख से 20 दिनो के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग को अपने निर्वाचन व्यय का पूर्ण लेखा प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था; और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग से दिनांक 08.11.2024 के पत्र संख्या 4288/ नि.प/2024 के द्वारा सूचित किया है कि उक्त कारण बताओ नोटिस श्री धर्मेन्द्र के द्वारा दिनांक 04.11.2024 को प्राप्त किया गया था, और

यतः, जिला निर्वाचन अधिकारी, दुर्ग, द्वारा अपने पत्र संख्या 336/नि.प/2025/, दिनांक 02.05.2025 के द्वारा प्रस्तुत की गई अनुपूरक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि श्री धर्मेन्द्र, ने निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत नही किया है । इसके अतिरिक्त, उक्त नोटिस की पावती के उपरांत, श्री धर्मेन्द्र ने विधि के अंतर्गत यथा विहित लेखा दाखिल करने में असफलता के लिए भारत निर्वाचन आयोग को न तो कोई कारण बताया और न ही कोई स्पष्टीकरण दिया है; और

यतः, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 की धारा 10क में अनुबंधित किया गया है कि:-

"यदि निर्वाचन आयोग का समाधान हो जाता है कि कोई व्यक्ति –

(क) निर्वाचन व्ययों का लेखा उस समय के भीतर और उस रीति में जैसी इस अधिनियम के द्वारा या अधीन अपेक्षित है, दाखिल करने में असफल रहा है; तथा

(ख) उस असफलता के लिए कोई अच्छा कारण या न्यायोचित्य नहीं रखता है, तो निर्वाचन आयोग शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उसको निरर्हित घोषित करेगा और ऐसा व्यक्ति उस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए निरर्हित होगा;

यतः, तथ्यों और उपलब्ध रिकार्डो के आधार पर आयोग का यह समाधान हो गया है कि श्री धर्मेन्द्र अपने निर्वाचन व्यय का लेखा दाखिल करने में असफल रहे हैं उनके पास ऐसा करने में असफल रहने के लिए कोई भी उचित कारण अथवा औचित्य नहीं है, और

अतः, अब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 10क के अनुसरण में भारत निर्वाचन आयोग एतद्द्वारा घोषणा करता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के साधारण निर्वाचन, 2023 के 65- भिलाई नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी श्री धर्मेन्द्र, आ / शिवप्रसाद , कम्लेश्वरपुर , सरगुजा , छत्तीसगढ़ , पिन – 497111, इस आदेश की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य अथवा संघ राज्य-क्षेत्र की विधान सभा अथवा विधान परिषद् का सदस्य चुने जाने अथवा होने के लिए निरर्हित होगें।

आदेश से,

हस्ता./–

(मोहम्मद उमर)
प्रधान सचिव.

ELECTION COMMISSION OF INDIA
Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi-110001

New Delhi, Dated 5th January, 2026 —— 15 Pausha, 1947 (Saka)

ORDER

No. 76/Chhattisgarh-LA/Durg/2023/CEMS-III. - WHEREAS, the General Election to Legislative Assembly of Chhattisgarh, 2023 was held in pursuance of the Election Commission of India Notification No. 08 / चार / विसनि / 2023 dated 21.10.2023. and

WHEREAS, as per Section 78 of the Representation of the People Act, 1951, every contesting candidate at an election shall, within 30 days from the date of election of the returned candidate, lodge with the District Election Officer an account of his election expenses which shall be true copy of the account kept by him or his election agent under Section 77 of the said act; and

WHEREAS, the result of the above-mentioned elections for **65- Bhilai Nagar** Assembly Constituency of **Chhattisgarh** was declared by the Returning Officer on **03.12.2023** and hence the last date for lodging the account of Election Expenses was **02.01.2024**; and

WHEREAS, as per the District Election Officer, **Durg, Chhattisgarh** report forwarded by the Chief Electoral Officer, **Chhattisgarh** vide their letter no. क-21/चार/वि.स.चु./ई.ई.एम/2023-24/66 रायपुर dated **30.01.2024,** under sub-rule (1) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Dharmendra,** a contesting candidate from **65- Bhilai Nagar** Assembly Constituency of **Chhattisgarh** has failed to lodge his account of election expenses, as required under law; and

WHEREAS, on the basis of the said report of the District Election Officer, **Durg** , a Show-Cause notice No. 76/छत्तीसगढ़-वि.स./65/2024/सी.ई.एम.एस.-III, dated **26.07.2024** was issued under sub-rule (5) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961 by the Election Commission of India to **Sh. Dharmendra** for not lodging of his account of Election Expenses; and,

WHEREAS, through the above said Show Cause Notice and under sub-rule (6) of Rule 89 of the Conduct of Elections Rules, 1961, **Sh. Dharmendra**, was directed to submit representation in writing to the Commission explaining the reasons for not lodging the account and also to lodge account of election expenses with the District Election Officer, **Durg** within 20 days from the date of receipt of the Notice; and

WHEREAS, District Election Officer, Durg vide his letter no. 4288/ नि.प/2024 dated **08.11.2024** informed that the said notice was received by the candidate, **Sh. Dharmendra** on **04.11.2024**, and

WHEREAS, the District Election Officer, **Durg** in his Supplementary Report, vide its letter no. 336/नि.प/2025/ dated 02.05.2025 has reported that **Sh. Dharmendra**, has not submitted **his** account of election expenses. Further, after receipt of the said notice, **Sh. Dharmendra**, has neither furnished any reason nor explanation to the Election Commission of India, for failure to lodge the account as prescribed under law; and

WHEREAS, Section 10 A of the Representation of the People Act, 1951 provides that:-

"If the Election Commission is satisfied that a person-

(a) has failed to lodge an account of election expenses, within the time and in the manner required by or under this Act, and

(b) has no good reason or justification for the failure, the Election Commission shall, by order published in the Official Gazette, declare him to be disqualified and any such person shall be disqualified for a period of three years from the date of the order."

WHEREAS, on the basis of facts and available records, the Commission is satisfied that **Sh. Dharmendra** has failed to lodge **his** account of election expenses and has no good reason or justification for the failure to do so; and

NOW, THEREFORE, in pursuance of Section 10A of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission of India hereby declares **Sh. Dharmendra,** S/o Shiv Prasad resident of Kamleshwarpur, Sarguja, Chhattisgarh, Pin – 497111, a contesting candidate from **65- Bhilai Nagar** Assembly Constituency of General Election to the **Legislative Assembly** of **Chhattisgarh, 2023**, to be disqualified for being chosen as and for being a member of either House of the Parliament or the Legislative Assembly or the Legislative Council of a State or Union Territory for a period of three years from the date of this order.

By order,

Sd/-

(Mohammed Umar)
Principal Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, नवा रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2026.